राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 847/2023

तारा देवी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज एवं निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, राजस्थान, जयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2023
आदेश की दिनांक : 07.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : डॉ. सौगट रॉय, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एल.एच.वी. के पद पर निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सी.एच.सी., झील का बाड़ा, भरतपुर किया गया है, जो बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी एक परित्यकता महिला है और उसका पुत्र जो Schizophrenia बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 183 कि.मी. दूर किया गया है। उसके परिवार में पुत्र की देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी स्वयं अर्थराइटिस एवं घुटनों की बीमारी से पीड़ित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है। उक्त परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया, जो नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को जयपुर शहर में रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किए जाने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एल.एच.वी. के पद पर निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–4 एवं अनुलग्नक–9 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पुत्र जो पूर्ण रूप से अपीलार्थी पर निर्भर है और अपीलार्थी भी परित्यकता महिला है। इस प्रकार मामले में अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों एवं उक्त बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य